कार्यालय प्राचार्य
शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

तखतपुर, दिनांक **21/07/2025**

सत्र् 2025–26 हेतु
स्नातक भाग अंतिम वर्ष में प्रवेश संबंधी सूचना

महाविद्यालय में सत्र् 2024–25 में स्नातक भाग दो (बी.ए., बी.एस.सी, बी.सी.ए. व बी.कॉम.) में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे। विश्वविद्यालय द्वारा इनके परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित प्रवेश मार्गदर्शिका 2025–26 के कंडिका 2.2 के अनुसार अगली कक्षा में निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेना होगा।

अतः अगली कक्षा में नियमित प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी जो सत्र् 2024–25 में महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत थे, के प्रवेश के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया होंगी–

1. नवीनीकरण प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय के वेबसाइट – **www.govtjmpcollegetkp.ac.in** से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र को पूर्णतः भर कर सत्र 2025–26 के लिए गठित संबंधित प्रवेश समिति से सत्यापित कराने के पश्चात् ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

2. विद्यार्थी अपने उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम की ऑन–लाईन प्रति विश्वविद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड कर स्व–हस्ताक्षर से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

3. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क ऑनलाईन पावती की प्रति जमा करने पर ही प्रवेश मान्य होगा। शुल्क जमा की पावती विद्यार्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

4. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26/07/2025 समय 2:30 बजे तक होगी।

5. निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर ये माना जायेगा कि विद्यार्थी महाविद्यालय में नियमित प्रवेश का इच्छुक नहीं है और रिक्त सीटों को प्रतिक्षारत आवेदकों से नियमानुसार भरा जायेगा।

6. शुल्क के संबंध में जानकारी सूचना पटल/कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोट :– प्रवेश आवेदन पत्र के साथ, 10वी, 12वी व विगत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति/परीक्षा 2025 की इंटरनेट प्रति व जाति प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

21/7/25

(डॉ. विनोद कुमार दुबे)
प्राचार्य
शास.जे.एम.पी.महाविद्यालय तखतपुर
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

स्नातक पूर्व/अंतिम एवं स्नातकोत्तर अंतिम कक्षा में प्रवेश हेतु

G. J. M. P. C. Takh. (C. G.)

नवीनीकरण
प्रवेश आवेदन पत्र

1. कक्षा का नाम जिसमें प्रवेश चाहिए ______
2. विषय जो लिया है ______
3. छात्र/छात्रा का नाम ______
4. पिता का नाम ______
5. माता का नाम ______
6. जन्मतिथि ______
7. लिंग (पुरूष/महिला/तृतीय) ______
8. पिता का व्यवसाय ______
9. जाति-अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य.पि.वर्ग./बी.पी.एल./सामान्य ______
10. अस्थाई पता ______
11 स्थायी पता ______ मो.नं. ______
12. ई-मेल आईडी ______ व्हाट्सअप नंबर ______
13. विगत परीक्षा का विवरण :-

उत्तीर्ण परीक्षा	रोल नंबर	वर्ष	प्राप्तांक	परीक्षाफल

13. महाविद्यालय का विगत वर्ष का प्रवेश क्रमांक .... वि.वि.नामांकन क्रमांक ....

13. संलग्न प्रमाण-पत्र, दसवीं से लेकर पिछली परीक्षा तक की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

14. कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता मुझे मान्य हैं ।

15. सात आंतरिक इकाई परीक्षाओं में कम से कम पांच परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनिवार्यता मुझे मान्य हैं ।

टीप : उपरोक्त 14 एवं 15 नियमों का पालन करने पर विज्ञान संकाय के परीक्षार्थी को अमहाविद्यालयीन तथा कला एवं वाणिज्य के परीक्षार्थियों को स्वाध्यायी माना जावेगा ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

प्रवेश समिति की अनुशंसा

छात्र इस महाविद्यालय का नियमित छात्र हैं । इसे कक्षा .... में उक्त विषयों के साथ प्रवेश की अनुशंसा की जाती हैं ।

संयोजक के हस्ताक्षर

नाम ....

संलग्न - I

छात्र/छात्रा का शपथ-पत्र

1. मैं .... (छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित)

पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती ....

शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 209 प्राप्त की, उसकी सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्वतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।

3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूं जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूं/देती हूं अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूं षडयंत्र करता/करती हूं तो मेरे विरूद्ध कार्य कार्यवाही हो सकती है।

4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूं कि-

अ. मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

ब. मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फेलाता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूं कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूं तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं घोषणा करता/करती हूं कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक .... माह .... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

कक्षा ....

मो.नं. ....

सत्यापन

मैं सत्यापन करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) .... (दिन) .... (माह) .... (वर्ष) ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) .... माह .... वर्ष .... को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

संलग्न - 2

माता-पिता अभिभावक का शपथ-पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती .... (माता/पिता/अभिभावक का नाम) श्री/कु. .... (छात्र का पूरा नाम, प्रवेश, पंजीयन/नामांकर सहित) शासकीय जे.एम.पी महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूं कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने ने विशेषतः नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्यनिष्ठ ये संकल्प लेता हूं कि -

   अ. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपरधन में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका-3 के अंर्तगत आता है।

   ब. मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा जो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है। तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका-9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक .... माह .... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

कक्षा ....

फोन/मो.नं. ....

सत्यापन

मैं सत्यापन करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं हैं तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) .... (दिन) .... (माह) .... (वर्ष) ....

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) .... माह .... वर्ष .... को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये आचरण-संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। उनका पालन न करने पर यह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, यह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या से ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखें, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :

1. यदि छात्र अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपयें जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-समय में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम निरस्त किया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

नाम..

मोबा. नं. ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

नाम...

मोबा. नं. ....

ई-मेल आईडी.......................................